

नवीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक..... 397198

प्रारूप - 9
नियम 8 (2) देखिये

दिनांक 10/10/2018

संख्या 7886



सोसाइटी के नवीकरण का प्रमाण-पत्र
(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीकरण संख्या	पत्रावली संख्या	दिनांक
2071	1-110820	1993-1994
एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि.....		
कल्याण एवं ग्राम्य विकास संस्थान, ई-2938, राजाजीपुरम, लखनऊ-1.....		महात्मा बुद्ध लोक
को		
दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र	1223	दिनांक 05-10-1999
दिनांक 05-10-2018		
को पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया गया है।		
1000 रूपये की नवीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।		

जारी करने का दिनांक..... 08-10-2018

सोसाइटी के रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश

BC

संख्या 10/10/2018

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये

TEN
RUPEES

रु.10

Rs.10



INDIA NON JUDICIAL

13AB 681044

UTTAR PRADESH

महात्मा बुद्ध लोक कल्याण
एवं ग्राम्य विकास संस्थान
सुबर्क
मिपुसबली 110820



Handwritten signature and date 17/02/11

President
Mahatama Buddha Lok Kalyan
Avam Gramy Vikas Sansthan

संशोधित स्मृति पत्र

- (1) संस्था का नाम = महात्मा बुद्ध लोक कल्याण एवं ग्राम्य विकास संस्थान ।
 (2) संस्था का पता = ई- 2038, राजाजी पुरम, लखनऊ ।
 (3) संस्था का कार्यक्षेत्र = सम्पूर्ण भारत ।
 (4) संस्था के उद्देश्य =

1. भारतीय संस्कृति, विज्ञान व उद्योग की मुख्य धारा " सर्व जन हिताय " वसुधैव कुटुम्बकम् " एवं नैतिक मूल्यों एवं आदर्शों के प्रति जनता को जागृत कर जाति धर्म सम्प्रदाय क्षेत्रवाद व धार्मिक उन्मत्ता जैसी संकीर्णता, आतंकवाद व विघटनकारी शक्तियों को घड़वन्त्रों व समाप्त करना जिसके लिए स्वयं सेवी देशभक्तों का नेतृत्व कर उनको द्वारा जनता में राष्ट्र प्रेम की भावना उत्प्रेरित करना तथा जाति व सम्प्रदाय विहीन समाज की रचना हेतु प्रयास करना ।
2. विश्वव्याप्त की भावना को व्यावहारिक रूप देने की दृष्टि से सम्पूर्ण मानव समाज (क्षेत्रिक व्यवसायी व मजदूर वर्ग) को उनके हित में संगठित कर उनमें पारस्परिक सहयोग एवं समन्वयवादी दृष्टिकोण पैदा करना ।
3. मद्य निषेध व नशीली वस्तुओं के सेवन से जन साधारण को रोकने हेतु राज्य एवं केन्द्र सरकारों के कार्यक्रमों को अद्योतित करना ।
4. शिशुओं, बालक-बालिकाओं, महिलाओं व अशिक्षित लोगों के शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक व नैतिक स्तर ऊँचा उठाने हेतु विद्यालय, निःशुल्क पुस्तकालय एवं वाचनालय, अनाथाशाला, अमानवादी केन्द्र, प्रौढ शिक्षा केन्द्र, सिलाई, कढ़ाई व बुनाई आदि का प्रशिक्षण केन्द्र खोलना व संचालित करना ।
5. विधवाओं, निराश्रित व विधवा महिलाओं के सहायताार्थ सरकार व स्वीकृत संस्थाओं से सहयोग दिलाने व देने तथा उन्हें निजी व सरकारी क्षेत्रों में रोजगार दिलाने का प्रयास करना । विकलांगों व निरक्षितों के लिए निःशुल्क रेजवे व इन्डस्ट्रियल हेतु पारनिःशुल्क चिकित्सालय व वाचनालय मनोरंजन व स्वरोजगार की व्यवस्था करना ।
6. प्रशिक्षणशाला व जरूरतगंद धान छात्राओं की समुचित शिक्षा, प्रशिक्षण व छात्रवृत्ति एवं पुस्तकीय सहायता आदि की व्यवस्था करना ।
7. ग्रामीणों एवं समाज के दूरी जनता के स्वास्थ्य, शिक्षा, रहन रहन व आर्थिक सामाजिक स्तर सुधारने हेतु केन्द्र, निःशुल्क औषधालय, शिक्षण व प्रशिक्षण केन्द्र खोलना तथा गाँवों से शहरों की ओर प्रलायन रोकने के लिए कृषि, पशुपालन व वायवानी पर आधारित लघु, हट्टीर उद्योग स्थापित करना तथा छोटी गाँवों में पंचायत उद्योगों के उन्नयन व ग्राम्य विकास हेतु कार्य करना ।
8. पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करना तथा उमर, प्रसूती, बच्चा, नजूल, गड्डों, तालाबों, नदियों, नहरों व सड़कों के किनारे पड़ी बेकर भूमि को उपयोगी बनाना तथा उन पर कृषि, बागवानी, पशुपालन, वृक्षारोपण, स्कूल, कालज, चिकित्सालय, प्रशिक्षण केन्द्र, वाचनाशाला, सभागार, धर्मशाला, पार्क, शौचालय व महापुरुषों की स्मृति में स्मारक आदि का निर्माण करना व कराने हेतु प्रयत्न करना । साथ ही भूमि की बर्बादी व अनुपयोगी धारों से बचाने के लिए कार्यक्रम चलाना ।

हरकृत प्रसिद्धि


 President
 Mahatma Buddha Lok Kalyan
 Sanstha
 2038, Rajaji Puram, Lucknow

हरिहर
 कार्यकारण निर्देशक
 महात्मा बुद्ध लोक कल्याण संस्थान
 2038, राजाजी पुरम, लखनऊ

31/12/24
 17/12/24

9. देश या प्रदेश में आवधिक आपदा जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप आदि में राहत कोष एकत्र कर जनता की हर सम्भव सहायता करना ।
10. साफाई मजदूरों की मुक्ति हेतु शौचालयों का निर्माण करना ताकि मलिन बास्तियों व गन्दी दूटी फूटी सड़की / सस्तों की सफाई व सुधार सम्बन्धी कार्य करना ।
11. किसानों को आधुनिक कृषि, उत्तम बीजों, खादों व कृषि उपकरणों की जानकारी कराने हेतु प्रशिक्षण केन्द्र, शिविर व सेमिनार आदि का आयोजन करना ।
12. भारतीय संविधान के अन्तर्गत सरकार द्वारा लोक कल्याण सम्बन्धी की जाने वाली सभी व्यवस्थाओं के क्रियान्वयन में सरकारी की मदद / सहयोग करना तथा जनता को उसके कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के निर्वहन व अधिकारों की रक्षा हेतु जागृत करना और इसके लिए सरकार के विभिन्न विभागों से सहयोग प्राप्त करना । साथ ही समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार से जन साधारण को बचाने हेतु उन्हें जागृत करना ।
13. जनता को सरली, सुलभ व शीघ्र न्याय दिलाने हेतु हर सम्भव प्रयास करना ।
14. समाज के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पत्र-पत्रिकाएँ, समाचार पत्र, उपयुक्त साहित्य का प्रकाशन करना तथा गोष्ठी, सम्मेलन, खेलकूद व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना ।
15. गौड़ धर्म का प्रचार प्रसार, गौड़ विहारों की स्थापना, गौड़ दीक्षा कार्यक्रमों का आयोजन करना ।
16. गौड़ धर्म सम्राट अशोक महान से सम्बन्धित साहित्य का प्रकाशन एवं उच्च स्तरीय ज्ञान ताकि पुरतकालय व वाचनालय की व्यवस्था करना ।
17. गौड़ धर्म व अल्प संख्यक दात्र-छात्राओं के भलाई, उत्थान एवं विकास के लिए काम करना ।
18. अल्पसंख्यकों के शैक्षिक विकास हेतु उर्दू, अरबी, फारसी, मद्रासा वादों के विद्यमान स्तर शिक्षा दिलाने की व्यवस्था करना । तथा उर्दू, अरबी, फारसी एवं पाला भाषा का प्रचार प्रसार एवं शिक्षा व्यवस्था करना ।

(सत्यप्रतिलिपि) हस्ताक्षरः



1. *hmt*
2. 21/11/22
3. बीना
4. 21/11/22

Dr.
President
 Mahatma Jyoti Balaraj Sanshodhan
 Avam Gremy Vikas Samithan

प्रमाणित
Dr. Balaraj
 17/02/23

- 1. संस्था का नाम : महात्मा बुध-लोक कल्याण एवं ग्राम्य विकास संस्थान
- 2. संस्था का पूरा पता : 60-2938- राजाजीपुरम्, तबानक ।
- 3. संस्था का कार्य क्षेत्र : सम्पूर्ण भारत ।
- 4. संस्था के उद्देश्य :

1. भारतीय संस्कृति, विन्यास व दर्शन की दुबय धारा "सर्व को हिताय" बहुधाय कुटुम्बकम् एवं वैश्विक मूल्यों एवं आदर्शों के प्रति जनता को जागृत कर जाति जाति, वर्ग, सम्प्रदाय, क्षेत्रवाद व धार्मिक उन्मत्तता जैसी संकीर्णता, भाविकता व विघाटनकारी शक्तियों के शङ्कणकों को समाप्त करना जिले लिये स्ववैश्वीय योजनाओं का मंच तैयार कर उनके द्वारा जनता में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करना तथा जाति व सम्प्रदाय विहीन समाज की रचना हेतु प्रयास करना ।
2. विधवा-वधुत्व की भावना को व्यवहारिक रूप देने की दृष्टि में सम्पूर्ण भारत समान सुवास, आसलापी व प्रकटूर वर्गों को उनके हित में संगठित कर उनमें प्राथमिक सहयोग एवं समन्वयवादी दृष्टिकोण पैदा करना ।
3. ग्राम निधीय व नगरीय बस्तियों के संघन हो जन साधारण को रोकने हेतु राज्य एवं केन्द्र सरकारों के कार्यक्रमों को चलाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित करना ।
4. शिक्षाओं, आर्थिक, बालिकाओं, महिलाओं व अशिक्षित लोगों के शैक्षिक सामाजिक, आर्थिक व वैश्विक स्तर को उठाने हेतु विद्यालय, निःशुल्क पुस्तकालय एवं वाचनालय, अनाथालय, आश्रमवादी केन्द्र, प्रौढ शिक्षा केन्द्र, क्लबाई अदार्थ व बुनाई आदि का प्रतिक्षण केन्द्र खोलना व संचालित करना ।
5. शिक्षाओं, निराश्रित व विधवा महिलाओं के सहायताार्थ सरकार व स्थैयिक संस्थाओं से सहयोग व दानाने व देने तथा उन्हें निजी व सरकारी क्षेत्रों में रोजगार दिलाने का प्रयास करना । शिक्षाओं व निराश्रितों के लिए निःशुल्क शैक्षिक व हवाई याता हेतु वास, ~~...~~, निःशुल्क विक्रितालय व वाचनालय सौकरजन व स्वरोजगार की व्यवस्था करना ।
6. प्रतिमानकारी व उत्कृष्टतम छात्र-छात्राओं की समुचित शिक्षा, प्रतिक्षण व छात्रवृत्ति एवं पुस्तकीय सहायता आदि की व्यवस्था करना ।
7. ग्रामीणों एवं समाज के अतीव जनता के स्वास्थ्य, शिक्षा, रहन-सहन व शक्ति सामाजिक स्तर सुधारने हेतु स्वास्थ्य केन्द्र, निःशुल्क अनाथालय, शिक्षा व प्रतिक्षण केन्द्र खोलना तथा गाँवों से शहरों की ओर प्रवासन रोकने के

क्रमांक: 2

सत्य प्रतिबिम्बि

President
Adha Lok Kalyan
Sansthan

22-11-2002
गौतम बुद्ध

के लिए कृषि, पशुपालन व आन्वयनी पर आधारित लघु इटीर उद्योग स्थापित करना तथा डाटो, गुमोद्योग व पंचायत उद्योगों के उन्नयन व ग्राम्य विकास हेतु कार्य करना।

8. पंचायत प्रवृत्तियों की रीकथाम हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का संवाहन करना तथा ऊसर, परली, बंजर, नजूल, गड्डों, तालाबों, नदियों, नहरों व तड़कों के विकास हेतु देवार भूमि को उपयोगी बनाना तथा उनपर कृषि, बागवानी, पशुपालन, इकाारोपण, स्कूल, बालेज, धिकितहालय, प्रशिक्षण केन्द्र, व्यायामशाला, तन्हागार, धार्मशाळा, वार्ड, शांतालय व महापुस्तकों की स्थापना में समारक जाटि का निर्माण करना व कराने हेतु प्रयत्न करना। साथ ही भूमि की पक्षानी व अनुपयोगी कार्यो में बवाने के लिए कार्यक्रम चलाना।

9. देश या प्रदेश में आर्थिक जायदा जैसे- बाढ़, सूखा, युद्ध आदि में राहत राशन कोषा स्थापना करना की हर संभव साधना करना।

10. सकार्क मजदूरों की सुविधा हेतु शांतालयों का निर्माण करना तथा मजिन वस्तियों व गन्दी टूटी फूटी तड़कों/रास्तों की सफाई व सुधार संबंधी कार्य करना।

विधानों को गहरी कृषि, उन्नतबीजों, डाटो व कृषि उपकरणों की जानकारी कराने हेतु प्रशिक्षण केन्द्र, विविध व सेमिनार आदि का आयोजन करना। संस्था में द्वाारा समाज में व्याप्त गृहटापार, दहेज/पत्नी कृपा व सदती हुई ऊसर/धाक प्रवृत्ति को कम करने के लिए प्रयास करना एवं सार्ध विरोधा भाव जन/सन्दी करधान चारो का रूठन कर उनके द्वारा जाय करार करकपु व जेवर के लक्ष्य रिपीट प्रेषित करना।

भारतीय संविधान के अन्तगत सरकार द्वारा लोग कल यात्रा संबंधी की जाने वाली सभी व्यवस्थाओं के क्रियान्वयन में सरकार की मदद/सहयोग करना तथा जनता को उनके कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के निर्वाहन व प्रतिकारों की रक्षा हेतु जागृत करना और इसके लिए सरकार के विभिन्न विभागों से सहयोग प्राप्त करना। साथ ही समाज में व्याप्त प्रवृत्तियों से जनसाधारण को बचाने हेतु उन्हें जागृत करना।

14. जनता को सहती, सुलभ व शीघ्र न्याय दिलाने हेतु हर संभव प्रयास करना।

15. संस्थान के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पत्र - पत्रिकाएँ, समाचार पत्र, उपयोगी साहित्य का प्रकाशन करना, तथा, गोष्ठी, सम्मेलन, डोलकूद व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना।



President
Buddha Lok Kalyan -
Ava... ny Vikas Sansthan

कुमरा:..... 3
संस्थान प्रमुख
22-11-20...

महोदय
संस्थान

संस्थान के कार्यो के संचालन के प्रबन्धाकारिणी समिति (किन्तु प्रिय) के वृत्त गये पदाधिकारी (सि) एवं सदस्यों के नाम, पते, पद तथा व्यवसाय जिनको संस्थान के इस स्मृति पत्र तथा नियमों के अनुसार संस्थान का कार्य चार चोपन गया :-

क्र. सं.	नाम तथा पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1	अशोक कुमार शर्मा	आत्मनगर, गठानऊ	संस्थापक	व्यवसाय
2	गान्धा पतौड शर्मा	ई- 2938-राजाजीपुरम, गठानऊ	अध्यक्ष	जन सेवा
3	आत्मज श्री एन.वी.कुमारवाहा	किरानीबाग, गठानऊ, गठानऊपुर	उपाध्यक्ष	सेवा निवृत्त
4	श्री एन.वी. शर्मा	गाम-चौकना राम चन्दर, पंचा, सरदाबाजार, आजमगढ़	प्रबन्धा सचिव	कृषि
5	आत्मज श्री हीरा लाल शर्मा	एन- 530, राजाजीपुरम, गठानऊ	उपसचिव	व्यवसाय
6	आत्मज श्री एन.वी. शर्मा	मानस विहार, सर्वोदय-नगर, गठानऊ	संगठन सचिव	गृह कार्य
7	एन.वी. शर्मा, आत्मज श्री रामचन्द्र सिंह	गाम-चौरा, पोशाहापुर, जिला-तीतापुर	प्रचार सचिव	कृषि
8	श्रीमती सीमा लक्ष्मी श्री राम शर्मा	उपलोक विहार, आत्मनगर, गठानऊ	कोषाध्यक्ष	गृहकार्य
9	आर.वी. शर्मा, आत्मज श्री आर.वी. शर्मा	ई-3642- राजाजीपुरम	आडीटर	नोकरी
10	श्रीमती सीमा लक्ष्मी श्री राम शर्मा	कालीबाड़ी, गठानऊ, गठानऊपुर	सचिव	व्यवसाय



हम निम्नलिखित व्यक्तियों को नियुक्त करते हैं कि हमने इस स्मृति-पत्र तथा संगठन नियमों के अनुसार कोषाध्यक्ष, संगठन सचिव, प्रचार सचिव, आडीटर का मान दिया है :-

- | | | |
|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| { आर.वी. शर्मा } (गठानऊ) | { श्री आर.वी. शर्मा } | { श्रीमती सीमा लक्ष्मी श्री राम शर्मा } |
| { श्रीमती सीमा लक्ष्मी श्री राम शर्मा } | { श्री एन.वी. शर्मा } | { एन.वी. शर्मा } |
| { श्रीमती सीमा लक्ष्मी श्री राम शर्मा } | { श्री एन.वी. शर्मा } | { आर.वी. शर्मा } |

दिनांक : अगस्त 25, 1993 ई०

संस्थापक समिति

President
Mahatma Buddha Lok Kalyan
Avam Gramy Vikas Sansthan

संस्थापक समिति
 अध्यक्ष
 सचिव
 कोषाध्यक्ष
 आडीटर

विध्यावली

- 1- संस्था का नाम : महात्मा बुद्ध लोक कल्याण एवं ग्राम्य विकास संस्थान
- 2- संस्था का पूरा पता : ई0 2938 राजाजीपुरम, लखनऊ ।
- 3- संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारत
- 4- संस्था के उद्देश्य : स्मृति पत्र के अनुसार ।

परिभाषाएँ :

1] "संस्थान" का तात्पर्य "महात्मा बुद्ध लोक कल्याण एवं ग्राम्य विकास संस्थान" से होगा ।

2] "समिति या संस्था" का तात्पर्य उन समस्त समितियों एवं संस्थाओं से होगा जो उपरोक्त संस्थान द्वारा संस्थापित एवं संचालित होगी ।

3] प्रबन्धाकारिणी समिति का तात्पर्य "महात्मा बुद्ध लोक कल्याण एवं ग्राम्य विकास संस्थान" की प्रबन्धाकारिणी से होगा जो केन्द्रीय प्रबन्धाकारिणी समिति होगी ।

4] कार्यकारिणी समिति का तात्पर्य उन समितियों से होगा जो संस्था किरी के तिर गठित होगी ।

5- संस्थान की सदस्यता एवं सदस्यों का वर्ग :

अर्थात् : जो व्यक्ति संस्थान के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों में अपनी अस्था रक्षा से जनहित के कार्यों में सक्रिय रहते हो तथा जिनकी आयु 18 वर्ष से कम न हो तथा या प्रबन्धा समिति के नाम व पते पर निर्धारित शुल्कनामा-पत्र भर कर सदस्यता हेतु आवेदन करेंगे, उन्हें प्रबन्धा समिति की संसृति एवं अध्यक्ष के अनुरोध के परामर्श सदस्य बनाया जा सकेगा जिस वर्ग के सदस्य के लिए अनुमोदन किया गया हो ।

संस्थान में निम्न वर्ग के सदस्य होंगे-

1] स्थापक सदस्य : जो व्यक्ति संस्थान की स्थापना के समय स्मृति पत्र में उल्लिखित है, वे स्थापक सदस्य होंगे ।

2] संरक्षक सदस्य : जो व्यक्ति संस्थान के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सामाजिक व आर्थिक सहयोग प्रदान करेंगे, उन्हें स्थापक सदस्यों की आम राय से संरक्षक सदस्य बनाया जा सकेगा ।

3] आजीवन सदस्य : जो व्यक्ति संस्थान को 2000/- का सहयोग एवं प्राप्त करें अथवा अपने विशेष योगदान से संस्थान को विहसित करने में सहयोग करेंगे उन्हें अध्यक्ष के अनुमोदन व प्रबन्धा समिति के संसृति पर आजीवन सदस्य बनाया जा सकेगा ।

4] साधारण सदस्य : जो व्यक्ति संस्थान द्वारा निर्धारित शुल्क-2 पर वार्षिक सदस्यता शुल्क देंगे, साधारण सदस्य होंगे ।



M:
President
Buddha Lok Kalyan
Avan Gramy Vikas Sansthan

सत्य प्रतिज्ञा

विवरण के अनुसार
बिच काग पत्र पर सोसाइटी

1- मनोनीत सदस्य : संस्थान की प्रबन्ध कारिणी उन व्यक्तियों को जिन्हें संस्थान को अपने विरोध तथा से योगदान करने योग्य समझती हो, मनोनीत सदस्य बना सकती है।

6- सदस्यता की समाप्ति : किसी भी सदस्य की सदस्यता समाप्त उसकी मृत्यु होने, सदस्यता शुल्क न देने, दिवालिया या पागल हो जाने, लगातार तीन मीटिंगों में बिना किसी सूचना एवं औचित्य पूर्ण कारणों के अनुपस्थित रहने, संस्थान के धन गबन करने, संस्थान के हितों के विरुद्ध कार्य करने पर प्रबन्ध कारिणी के 2/3 बहुमत से, की जा सकती है।

7- संस्थान के अंग :
[क] साधारण सभा
[ख] प्रबन्ध कारिणी समिति
[ग] केन्द्रीय सहायकार बोर्ड

[क] साधारण सभा :
[अ] सूचना : सभा प्रचार के सदस्यों को भित्ताक साधारण सभा गठित होगी।
[ब] बैठकें : सामान्यतः साधारण सभा की बैठक वर्ष में एक बार होगी। आवश्यकतानुसार अधिका के अनुमोदन के पश्चात प्रबन्ध सचिव द्वारा कभी भी बुलाई जा सकती है।

[ग] सूचना अधिपति : साधारण सामान्य बैठकों को तथा 15 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक को सूचना 7 दिन पूर्व प्रसारित की जायेगी।

[घ] सदस्यों की संख्या की 1/3 उपस्थिति आवश्यक माननी जायेगी।

[ङ] विशेष अधिवेशन :
संस्थान प्रबन्ध सचिव विशेष धार्मिक अधिवेशन आयोजित करेगी जिसकी, विधि, स्थान, तिथि, विषय निर्धारित होगा।
साधारण सभा के कर्तव्य [क] 3/11/2002



[च] संस्थापक/आजीवन व संरक्षक सदस्यों में से प्रबन्धकारिणी समिति का गठन निर्वाचन द्वारा किया जायेगा। जिसकी सदस्य संख्या कम से कम 9 की होगी। जिसमें भूगणितिक पद होगी :-

2- संस्थान के नियमों/विनियमों में संशोधन, परिवर्तन या परिशोधन हेतु कार्यकारिणी को निर्दिष्ट स्थाव देना।

9- प्रबन्धकारिणी समिति :-

[अ] गठन :- संस्थापक/ आजीवन व संरक्षक सदस्यों में से प्रबन्धकारिणी समिति का गठन निर्वाचन द्वारा किया जायेगा। जिसकी सदस्य संख्या कम से कम 9 की होगी। जिसमें भूगणितिक पद होगी :-

सत्य प्रतिबिम्बि

उपमा: 3 पर---

President
Mahatma Bundelkhand
and Orissa Vikas Sansthan

विधि विभाग
विधि सचिव एवं सहायक सचिव

गोपना कुल विधि विभाग

27-11-2002

सचिव
दफ्तर

प्रबंधकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :-

1- संकेत :- समिति के सदस्यों के प्रति हेतु प्रबंधकारिणी समिति को सतत परामर्श एवं सहयोग देना ।

2- उपाध्यक्ष :-

- 1- संस्थान का सर्वोच्च पदाधिकारी होगा । जिसको प्रबंधकारिणी समिति साधारण तथा एवं केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करना एवं व्यवस्था देना होगा ।
- 2- साधारणतया प्रबंधकारिणी समिति एवं केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की बैठकों के लिये स्थान, तिथि निर्धारित करने हेतु प्रबंध सचिव को निर्देश देना ।
- 3- किसी विवाद व मत विभाजन के समय एक निर्णायक मत/ व्यवस्था देना ।
- 4- समिति के आकस्मिक व्यय हेतु ₹01,000/- की धरणाशि अपने पास रखना ।
- 5- संस्थान के अधीनस्थ कारिदारियों की नियुक्ति/ पदोन्नति, निरायत व बर्खास्तगी की स्वीकृति देना ।

3- उपाध्यक्ष :- 1- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्यों, अधिकारों व कर्तव्यों का सम्पादन करना ।

2- अध्यक्ष व प्रबंधसचिव के कार्यों में सहायता करना ।

4- प्रबंध सचिव :-

1- प्रबंध सचिव प्रबंधकारिणी समिति का मुख्य पदाधिकारी होने के नती संस्थान के समस्त कार्यों के क्रियान्वयन का समस्त दायित्वों का निर्वहन करना ।

संस्थान के बैठकों हेतु एजेण्डा तैयार करना तथा कर्मचारियों के द्वारा अध्यापक/तुचनाएं प्रेषित करना ।

संस्थान की कार्यवाही/एजेण्डा व रजिस्टरों के रखरखाव तथा समस्त कार्यालयी के संचालन का दायित्व प्रबंधसचिव का होगा ।

संस्थान के समस्त वल अथवा सम्पत्ति की सुरक्षा व्यवस्था, रखरखाव तथा समस्त पत्र व्यवहार व विधि सम्मत कार्यों के दायित्व का निर्वहन करना ।

संस्थान के लिए अनुदान, ढान, उपहार, पन्डे आदि आहूँ करना व आनुसंगिक व्यय हेतु ₹01,000/- की धरणाशि अपने पास रख सकता है ।

6- प्रबंधकारिणी समिति के किसी कार्य अथवा कार्यों के क्रियान्वयन हेतु किसी भी पदाधिकारी/सहाय्य अथवा कारिदारी को अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अधिकृत कर सकता है ।



सत्य प्रतिक्रिया

इमा: 5 पर--

Handwritten signature and date: 22.11.2002

गीतम दुद

Handwritten signature and stamp: Manatan

Handwritten text: 2002

सोलाहवीं रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।
 प्रबन्ध कारिणी समिति के 3/4 बहुमत से संस्थान विघाटित किया जा सकता है।
 विघाटन के समय संस्थान के समस्त दायित्वों की पूर्ति के बाद अवशेष धन/संपत्ति
 सम्पत्ति कितनी सार्वजनिक संस्था कोषा/संस्था को कितनी रचनात्मक निर्माण
 कार्य हेतु इस शर्त के अधीन दान किया जायेगा जो उक्त रचनात्मक निर्माण
 कार्य में उदारदान की स्मृति में गिनायेगा ल्याये।

Handwritten notes on the left margin, including "प्रबन्ध कारिणी" and other illegible scribbles.

17- विधि :

- 1. संस्थान के धनों की अदायगी का उत्तर दायित्व प्रबन्धकारिणी समिति को होगा जो सरकारी, अर्ध सरकारी विभागों/संस्थाओं व निजी धर्म से धन/अनुदान/दान/उपहार के लिए आवेदन करेगी। उक्त समिति आवश्यकता पड़ने पर अपनी संपत्ति का हस्तांतरण/बंधन कर सकती है यदि वह संस्था के हित में हो।
- 2. प्रबन्ध कारिणी समिति संस्थान द्वारा संचालित वा उसके अन्तर्गत संचालित विभिन्न संस्थाओं के संचालन हेतु आवश्यकता अनुभव किये जाने पर अलग-अलग कार्यकारिणी समितियों का गठन कर सकती है। जिनका कार्यकाल मात्र 3 वर्ष का होगा जो प्रबन्ध कारिणी समिति के निर्देशानुसार कार्य करेगी। केन्द्रीय प्रबन्ध कारिणी समिति को यह अधिकार होगा कि वह इन समिति के किसी पदाधिकारी/सदस्य को किना कारण बताये उनके कार्य सन्तोषजनक न पाये जाने पर निलंबित वा बहालित कर सकती है। संस्थान की प्रबन्ध समिति भाषिष्य में संस्थान के विकसित करने के हेतु विशेष व्यवस्था हेतु अपने संस्थापक/आजीवन सदस्यों के बीच प्रबन्ध का पुनः चयन भी कर सकती है जिनके अधिकार व कार्य प्रबन्ध कारिणी समिति अपने 2/3 बहुमत से तय करेगी।



सत्य प्रतिनिधि

§ जरो रसो, धर्मवादा §
 § सतो बी सिंह §

§ मेधा सिंह §

दिनांक अगस्त 25, 1922 ई०

सत्य प्रतिनिधि

विश्व कर्म कर्म, तथा सोलाहवीं
 22.11.2001
 President
 L. K. Kalyan

सत्य प्रतिनिधि

सत्य प्रतिनिधि